उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
फौजदारी अपील संख्या 410 वर्ष 2015

श्री विनोद

..... अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य

..... प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्तागण।
अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता : श्री अशोक दराल, श्री राजेश हड्डा एवं श्री किशोर राय
प्रतिउत्तरदाता की ओर से : श्री अमित भट्ट, श्री पंकज जोशी

पीठः माननीय सुधांषु धूलिया, न्यायाधीश
माननीय रविन्द्र मैठानी, न्यायाधीश

माननीय सुधांषु धूलिया, न्यायाधीश (मौखिक)

यह आपराधिक अपील अपीलार्थी द्वारा 2011 के सत्र परीक्षण संख्या–29 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विकासनगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27/28.11.2015 को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत अपीलार्थीको भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और आजीवन कारावास और मुबलिग 5,000/–रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

2. मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.10.2010 को बद्रीपुर गांव के ग्राम प्रधान जिनका नाम घनश्याम (पी0डब्ल्यू0–5) है, ने देखा कि गांव की पुलिया के पास एक लाश पड़ी है, जिस पर कई चोटें थी और पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था। उस समय शव के पास जमा हुए ग्रामीणों ने घायलों की शिनाख्त कस्बे तिपरपुर के निवासी के रूप में की, जो पास का गांव था। उनके द्वारा यह भी पहचाना गया कि घायल उस गांव के शंभू (पी0डब्ल्यू0–1) और गुलाब सिंह (पी0डब्ल्यू0–2) से संबंधित है। ग्राम प्रधान होने के नाते, पीडब्ल्यू–5 ने महसूस किया कि यह उसकी जिम्मेदारी थी, वह पी0डब्ल्यू0–1 को सूचित करे कि उसका रिस्तेदार या कोई परिचित व्यक्ति उसके गांव में घायल अवस्था में पड़ा है और इसलिए उन्हें तद्नुसार सूचित किया गया था। आधे घंटे के भीतर पी0डब्ल्यू0–1, पी0डब्ल्यू0–2, पी0डब्ल्यू0–3 और पी0डब्ल्यू0–4 और गांव के कुछ अन्य निवासी मौके पर आये। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस नम्बर 108 से सम्पर्क किया, जो आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के लिए है। एम्बुलेंस जल्द ही आ गई और घायल जगदीश को विकासनगर के संयुक्त स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाया गया, जो पास में ही था। घायलों की जांय डॉक्टर अमर सिंह राय ने की, जिनकी मेडिकल जांच रिपोर्ट भी रिकॉर्ड में है। तत्पश्चात् पी0डब्ल्यू0–2 गुलाब सिंह द्वारा अपराहन 4:55 बजे थाना सहसपुर, जिला देहरादून में 31.10.2010 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहा गया कि उसका भाई जगदीश सिंह हमेशा की तरह बिना किसी को बताय गांव से बाहर चला गया था। वह रात में गांव नहीं लौटा और फिर आज दिनांक 31.10.2010 को ग्राम बद्रीपुर के ग्राम प्रधान का फोन आया कि एक घ

ाायल व्यक्ति पुलिया के पास पड़ा हुआ है। वादी व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल की पहचान अपने भाई जगदीश सिंह के रूप में की, इसके बाद फोन नम्बर 108 डाय कर एम्बुलेंस बुलाई गई और घायलों को संयुक्त स्वास्थ्य केन्द्र विकासनगर ले जाया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उसके भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा था, तो उसने बताया कि गांव बद्रीपुर निवासी विनोद सिंह पुत्र रमेश ने 2 या 3 अन्य साथियों के साथ उसे जान से मारने की नीयत से जख्मी किया है। मामले में विवेचना प्रारम्भ की गई। इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी अरोपी विनोद को एक दिन बाद दिनांक 02.11.2010 को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया। बयानों के दौरान जो अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के दर्ज किए गए थे, विशेष रूप से पी0डब्ल्यू0–6 मगन सिंह के बयानों में आया है कि दिनांक 30.10.2010 को सांय लगभग 7:00 बजे मृतक, एक नाथी राम के साथ अपनी दुकान पर आया था, जहां पी0डब्ल्यू0–6 चाइमीन और अण्डे बेचता है। दोनों ने चाउमीन और अण्डे का ऑर्डर दिय, जो उन्हें दिया गया। पैसे देने को लेकर उनके बीच कुछ कहा सुनी हो गई। लेकिन आखिककार वे चले गये। चूंकि नाथी राम को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था, पुलिस ने अपनी जांच के बाद विनोद और नाथी राम को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दायर की। प्रथम सूचना रिपोर्ट गुलाब सिंह द्वारा थाने की रिर्पोटिंग चौकी सभावला, सहसपुर, देहरादून विनोद व अन्य के विरूद्ध धारा 323, 307 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध संख्या–5/225/2010 में दर्ज कराई गयी थी। जिसमें विनोद एवं अन्य को अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन इसके तुरंत बाद, घायल जगदीश का निधन हो गया औश्र इसलिए धारा 307 भारतीय दण्ड संहिता को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में तरमीम कर दिया गया। विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिसने मामले को सत्र के लिए प्रतिबद्ध किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आरोपी विनोद और आरोपी नाथी राम के खिलाफ धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप तय किए।

3. अभियोजन पक्ष द्वारा 14 गवाहों को परीक्षित कराया। यहां यह उल्लेखनीय है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा केवल मृत्यु से पूर्व के बयान के आधार पर है, जो कि मृतक द्वारा कहे गये हैं।

4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घोषणा पी0डब्ल्यू0–1–, पी0डब्ल्यू0–2, पी0डब्ल्यू0–3 व पी0डब्ल्यू0–4 को उसक समय की गई थी, जब गांव के ये चार व्यक्ति, जो उससे भी संबंधित थे, उस स्थान पर आए जहां वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। इस दौरान घायन अवस्था में उसने कहा कि यह चोट उन्हें विनोद ने लगाई है। इसके बाद जब उसे फिर से अस्पताल लाया गया और उसका इलाज किया गया, तोउसने इस बयान को दोहराया, केवल इस बार स्पष्ट करते हुये कि विनोद वास्तव में गावं बद्रीपरु के रमेश सिंह का पुत्र है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांच अधिकारी, जो उस समय अस्पताल में थे, ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 द्वारा पूछने पर कि अभियुक्त कौन है।उसकी उपस्थिति में घायल द्वारा विनोद का नाम लिया गया था।

5. मृत्यु से पूर्व कहे गये कथनों की प्रासंगिकता के रूप में, हम थोड़ी देर में वापस आएंगे। अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 द्वारा कथन किया गया कि मृतक उसका भतीजा है। मृतक मजदूरी करता था और अविववाहित था। दिनांक 30.10.2010 को मृतक उस रात अपने गांव नहीं लौटा।

उन्होंने आगे कहा कि मृतक का घर उसके घर के ठीक सामने है, दूसरे दिन सुबह उन्हें गांव बद्रीपुर निवासी वीर सिंह ने फोन पर सूचना दी कि उनका एक परिचित बद्रीपुर गांव की पुलिया के पास बेहोशी की हालत में पड़ा है, उसे पहचानने अना चाहिए, इस सूचना पर वह अपने सगे भाई गुलाब सिंह व बृजलाल, पदम सिंह आदि के साथ मौके पर पहुंचा, जहां उन्होंने घायल व्यक्ति की पहचान जगदीश के रूप में की, जिसके कान, सिर, नाग आदि पर चोट लगने से गंभीर रूप से घ ाायल हो गया था। तब तक कई स्थानीय ग्रामीण भी मौके पर जमा हो चुके थे। उन्होंने जगदीश से पूछा कि यह किसने किया है और जगदीश ने विनोद का नाम बताया। इसके बाद घायल को संयुक्त स्वास्थ्य केंद्र विकासनगर ले जाया गया, जहां उसे भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उससे फिर पूछा गया कि उसे किसने चोट पहुंचाई है, तो उसने फिर जबाव दिया कि वह बद्रीपुर गांव के रमेश का पुत्र विनोद है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 ने आगे कथन किया कि उसने इस सब का कारण नहीं पूछा क्योंकि घायल को बोलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। उसे नहीं पता कि घायल और विनोद के बीच कोई दुश्मनी थी या नहीं। अगली तारीख यानी दिनांक 01.11.2010 को जगदीश का निधन हो गया। पी0डब्ल्यू0–1 आगे कहता है कि ''पंचनामा' उसके सामने भरा किया गया था, जिसमें वह 'पंच' में से एक था। वह अन्य पूछताछ गवाहों आदि का नाम लेता है।

6. अपनी जिरह में साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 का कहना है कि वह सुबह लगभग 8:00 बजे घ ाटनास्थल पर पहुंचा, जहां मृतक जगदीश ने उसे अन्य ग्रामीणों के सामने सूचित किया कि वह विनोद है, जिसने उसे चोट पहुंचाई है। हालांकि उन्होंने विनोद का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह विनोद कौन है। स्पष्ट था कि विनोद नाम के एक से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, जो एक सामान्य नाम है। वे 10–15 मिनट तक मौके पर रहे और इसी बीच एम्बुलेंस मौके पर आग गई, जिस पर घायलों को संयुक्त स्वास्थ्य केन्द्र विकास नगर ले जाया गया। अपनी जिरह में, इस गवाह ने कहा कि जब वे अस्पताल में थे, तब घायल जगदीश ने उनके अलावा किसी से बात नहीं की। वह आगे कहता है कि प्राथमिकी दिनांक 31.10.2010 को शाम लगभग 4 बजे उसके छोटे भाई गुलाब सिंह द्वारा साक्षी पी0डब्ल्यू0–2 द्वारा दर्ज कराई गई थी। एक और दिलचस्प तथ्य यह गवाह बताता है कि पुलिस वास्तव में जगदीश की मौके के अगले दिन यानी दिनांक 01.11.2010 को अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टर ने किसी पुलिस या तहसीलदार को नहीं बुलाया। पी0डब्लयू0–1 आगे बताता है कि उसका बयान जगदीश की मौक के बाद दिनांक 01.11.2010 को जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था। उनका कहना है कि घायल जगदीश ज्यादातर समय बेहोश ही रहता था, लेकिन वह दोहराता है कि यह कहना गलत होगा कि घायल बोलने की स्थिति में नहीं था या उसने विनोद का नाम नहीं लिया।

7. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू–2 गुलाब सिंह, जो पी0डब्ल्यू0–1 शंभु लाल का सगा भाई और मृतक का चचेरा भाई, और जिसने प्राथमिकी दर्ज की थी, साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 शंभु लाल द्वारा सूचना के संबंध में बताई गई कहानी को दोहराता है, सिवाय इसके कि फोन ग्राम प्रधान घनश्याम (वीर सिंह के खिलाफ जिसने पी0डब्ल्यू0–1 को सूचित किया था) से आया था। इसके बाद इस गवाह का कहना है कि जगदीश ने उसे कभी नहीं बताया था कि विनोद ने जगदीश को चोटें पहुंचाई थी। उनका कहना है कि जगदीश बोलने की हालत में नहीं था। इस स्तर पर इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा उससे कुछ सवाल किए गए। उनका कहना है कि विनोद का नाम ज्यों का त्यों रखा गया, ग्रामीणों ने विनोद कानाम लिया था और ऐसा

कोई खुलासा जगदीश ने उनके सामने नहीं किया था।

8. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–3 बृजलाल और पी0डब्ल्यू0–4 पाल सिंह वो गवाह है, जो घ ाायलों की स्थिति के बारे में सूचित किये जाने पर मौके पर पहुंचे थे। वे भी पक्षद्रोही हो गए।

9. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–5 घनश्याम ग्राम प्रधान है, जिसने सबसे पहले अपने गांव में घ ाायल को देखा और घायल के निकट संबंधियों को विधिवत् सूचित किया, जैसा कि उपर पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

10. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–6 मदन सिंह आखिरी गवाह है। वह गांव बद्रीपुर में चाउमीन और अंडे की दुकान चलाता है और दिनांक 30.10.2010 को यानी हादसे के ठीक एक दिन पहले उसने अपनी दुकान पर गए नाथी राम के साथ घायल को देखा था। अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–6 वह गवाह है, जिसने मृतक को नाथी राम के साथ अंतिम बार देखा था, जिसके संदर्भ में ऊपर भी उल्लेख किया गया है।

11. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–7 जग्गी पूछताछ का गवाह है।

12. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–8 चुन्नी लाल एक और गवाह है, जो दिनांक 31.10.2018 को मौके पर था। उनका कहना है कि जगदीश घायल हालत में पड़ा हुआ था और जब उससे पूछा गया कि चोट किसने लगाई तो उसका नाम विनोद बताया गया। यह गवाह आगे कहता है कि वह घायलों के साथ अस्पताल नहीं गया। जिरह के दौरान साक्षी द्वारा बताया गया कि जगदीश उसका रिश्तेदार था और बेहोशी की हालत में उसने विनोद कानाम लिया था। अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–8 आगे बताता है कि घायल ने यह नहीं बताया कि विनोद का पिता कौन था और न ही उसने किसी अन्य आरोपी व्यक्ति का नाम लिया।

13. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–9 डॉक्टर वाई.एस. थपलियाल वह डॉक्टर है, जिसने मृतक का पोस्टमार्टम किया था। साक्षी डॉक्टर द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष बयान दिया कि मृतक के सिर की चोट घातक थी और वह मौत का कारण हो सकती है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निम्नलिखित चोटों का विवरण दिया गया है, जो कि निम्न प्रकार से हैः

बाह्य परीक्षणः

1. मृतक की दोनों आंखे बंद थी और दोंनो आंखे सूजी हुयी थी और आंख के अंदर खून था।

2. मृतक के माथे पर 1 X 5 सेंटीमीटर के आकार का सिला हुआ घाव था।

3. मृतक के बांए सिर पर 6 X 5 सेंटीमीटर के आकार की रगड़ व चोट थी और दाहिने कान पर 1.50 X 5 सेंटीमीटर के आकार का कटा घाव था।

4. बाई कान में 3 X 3 सेंटीमीटर की सूजन थी।

5. कमर के पीछे 20 X 15 सेंटीमीटर आकार की चोट व खरोंच थी।

6. दोनों कोहनियों के बाई ओर 6 X 5 सेंटीमीटर की रगड़ व चोट थी।

चोट संख्या–2, जो सिर पर लगी घातक चोट थी।

आंतरिक परीक्षणः

1. मृतक के मस्तिष्क के बांयी ओर 10 X 5 सेंटीमीटर का रक्त का जमा हुआ थक्का, जो मस्तिष्क की झिल्ली के ऊपर था।

2. मस्तिष्क के बांई ओर 6 X 5 सेंटीमीटर का रक्त का जमा हुआ थक्का, जो मस्तिष्क की झिल्ली के नीचे था।

3. बाई ओर की तीसरी पसली टूट गई थी।

14. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 डॉक्टर अमर सिंह रॉय है, जिन्होंने अस्पताल में लाए जाने पर घायल की चिकित्सीय जांच की थी। वह निम्नलिखित चोटों का उल्लेख करते हैं:

1. सिर के दाहिने भाग पर 4 X 0.5 सेंटीमीटर का कटा घाव

2. चहरे के बाई ओर ऊपर की तरफ 3 X 1 सेंटीमीटर की रगड़।

3. दोनों कानों पर कई खरोंच।

15. यद्यपि उपरोक्त रिपोर्ट में रोगी के महत्वपूर्ण आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसे कि रक्तचाप, नाड़ी, की दर, आदि लेकिन अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 डॉक्टर अमर सिंह रॉय का कहना है कि घायल होश में था। लेकिन, घायल का कोई बयान नहीं लिया गया और न हीउसे हायर सेंटर के लिए रैफल किया गया। घायल की अगली सुबह मौत हो गई। यह पूछे जाने पर कि घायल को हायर सेंटर के लिए क्यों रैफर नहीं किया गया, अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–10 डॉक्टर अमर सिंह रॉय ने जवाब दिया कि उनकी राय में उसे लगी हुयी चोटें उन्हें मामूली प्रतीत हो रही थी।

16. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–11 अरशद अली जांच रिपोर्ट का गवाह है।

17. अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–12 वेद प्रकाश और अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–13 प्रवीन सिंह क्रमशः जांच अधिकारी हैं। अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–12 द्वारा जांच शुरू की गई थी और अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–13 द्वारा जांच पूरी की गई थी। अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–12 का बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी जिरह में उन्होंने कहा है कि दिनांक 01.11.2010 को, उन्हें सूचना मिली कि मृतक का संयुक्त स्वास्थ्य में चिकित्सा उपचार के दौरान निधन हो गया। वह अस्पताल पहुंचे और अपेक्षित नक्शा और पंचनामा तैयार किया। अपीलार्थी श्री अशोक द्राल के विद्वान अधिवक्ता ने यहां बताया कि अभियोजन साक्षी पी0डब्ल्यू0–12 जांच अधिकारी ने पहले कहा था कि मृतक ने विनोद का नाम उसकी उपस्थिति में लिया था, जब उसका इलाज एक दिन पहले चल रहा था, जबकि वह पहली बार अस्पताल पहुंचे तो जगदीश की मृत्यु हो चुकी थी।

18. इन साक्ष्यों के बल पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्त नाथी राम को दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाया और उसे बरी कर दिया गया, लेकिन साक्ष्य के आधार पर वर्तमान अपीलार्थी के विरूद्ध सबसे महत्वपूर्ण मृत्युकालिक कथन के आधार पर अपीलाथी को अपराध अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध किया गया है।

19. मुख्य रूप से इस न्यायालय को मौखिक मृत्युकालिक घोषणा की स्वीकार्यता की जांच करनी है और क्या केवल इस मृत्युकालिक कथन के बल पर दोषसिद्धि की जा सकती थी। मृत्यु कालिक घोषणा पर कानून अच्छी तहर से स्थापित है। यह साक्ष्य का एक ठोस टुकड़ा है और अभियोजन पक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और मृत्युकालिक बयान ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। हालांकि, यह इस प्रावधान के साथ है कि मरने से पहले की घोषणा स्वेच्छा से की गई होगी और जो मरने से पहले की घोषणा कर रहा है वह ऐसा करने की स्थिति में हैं। अन्य साथ वाली परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

20. यहां अभियोजन पक्ष के पास एकमात्र ठोस सबूत मरने से पहले दिया गया बयान है। कोई

अन्य संतोषजनक साक्ष्य नहीं है, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष रखा गया हो। फिर भी, मरने से पहले दिए गए बयान में स्पष्ट कमियां हैं। पुलिस के बयान में, कम से कम 4 गवाहों यानी पी0डब्ल्यू0–1 लगायत पी0डब्ल्यू0–4 ने इस बात से इन्कार किया है कि उनके सामने ऐसा कोई मरने से पहले बयान दिया गया था। इसके अलावा, रिकॉड पर सबूत है, जो बताता है कि घायल जगदीश पूरे बेहोश थे और अगी सुबह उनकी मृत्यु हो गई थी।

21. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया है कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत है, जो यह सुझाव देते हैं कि जगदीश जो घायल हो गया था, पूरे समय बेहोश था और इस तरह का बयान देने की स्थिति में नहीं था। इसके अलावा एफ0आई0आर में बताया गया है कि अस्पताल में इलाज के दौरान जगदीश ने विनोद का नाम बताया था। प्राथमिकी में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि विनोद का नाम या तो मुखबिर या गांव के किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया था, जब वह बद्रीपुर गांव के पास एक पुलिया पर घायल अवस्था में पाया गया था।

22. विद्वान उपमहाधिवक्ता हालांकि इय इंगित करेंगे कि वह मौखिक मृत्युकालीन कथन का वहीं साक्षिक महत्व है, जो किसी अन्य मृत्युकालीन कथन का है और विचारण न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण साक्ष्य पर भरोसा किया है।

23. राज्य के विद्वान उपमहाधिवक्ता ने परबीव अली और अन्य बनाम असम राज्य (2013) 2 एससीसी 81 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

24. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने नल्लापति शिवैया बनाम उप–विभागीय अधिकारी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश (2007) 15 एससीसी 465 और रामसाइ और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1994 फौजदारी. एल.जे. 138 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है।

25. हमारे विचार में, हालांकि हम मृत्युकालिक घोषणा में स्पष्ट कमियां पाते हैं। यह किसी अन्य सार्थक साक्ष्य द्वारा भी समर्थित नहीं है। प्राथमिकी में उल्लेख है कि घायल ने अस्पताल में विनोद का नाम लिया था, जबकि पी0डब्ल्यू0–1 के बयान में घटनास्थल पर और बाद में अस्पताल में भी यही कहा था। अभियोजन पक्ष को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना होगा और वर्तमान मामले में उनका मानना है कि ऐसा नहीं किया गया है। संदेह हमेशा अभियुक्त के लिए होता है और हमारे राय में अपीलार्थी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत आरोप से दोषमुक्त होने के लिए उत्तरदायी है।

26. नतीजतन, अपील स्वीकार की जाती है। अवर न्यायालय द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 28.11.2015 को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी जेल में है। अपीलार्थी को तत्काल जेल से रिहा किया जाये, यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित न हो।

27. इस फैसले की एक प्रति बाद आवश्यक कार्यवाही अवर न्यायालय को मय पत्रावली प्रेषित की जाये।

(रविन्द्र मैठानी, न्यायाधीश) **(सुधांषु धूलिया, न्यायाधीश)**

दिनांक 06.12.2018